नगर निगम, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक :– एफ 13 ( ) उपा. आयोजना/जननि./2020/756 दिनांक:– 22/01/2020

श्री मुख्तार अहमद अध्यक्ष,
मानसरोवर मुस्लिम बेलफेयर सोसायटी,
सै0–3, मानसरोवर, जयपुर।

विषय :– मानसरोवर मुस्लिम बेलफेयर सोसायटी सै0–3, मानसरोवर जयपुर के मदरसा निर्माण स्वीकृति बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 14–17.10.2019 में लिये गये निर्णयानुसार निर्माण स्वीकृति हेतु निम्नानुसार राशि निगम कोष में जमा करवायें:–

1	मानचित्र जॉच शुल्क	9996.00
2.	भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क	10000.00
3.	मलबा शुल्क	5000.00
3.	लोगो शुल्क	1000.00
4.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (क) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण अमानता राशि	100000.00
5	श्रमिक उपकर राशि	289331.00
6	सीवर शुल्क	37557.00
	कुल राशि	452884.00

- समिति के निर्णयानुसार मांग पत्र में वर्णित राशि 15 दिवस में निगम कोष में जमा करवायें।

अतः आप उक्तानुसार राशि निगम कोष में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करें। साथ ही आप गणना में त्रुटि बाबत् शपथ पत्र एवं वर्ष 2019–20 तक नगरीय विकास कर, वर्ष 2019–20 तक लीज जमा एवं गृहकर 2007 तक जमा की प्रमाणित रसीदें 15 दिवस में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकें।

सूचित रहें।

(मो0 सलीम खान)
उपायुक्त आयोजना (प्रथम)
नगर निगम, जयपुर

नगर निगम, जयपुर
अदा रु. 452884/- बावत
23 JAN 2020
रसीद 9004951
कोषाध्यक्ष

Cheque Amt

Scanned with CamScanner

नगर निगम जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 22,23 और 24(1) के अधीन)

रसीद

रसीद नं.	रसीद दिनांक	काउन्टर का नाम एवं क्रमांक	वार्ड क्रं.
9002/951	23/01/2020	HEAD OFFICE COUNTER-2	0

सेवा क्रमांक / कन्ट्रोल नं. | नाम व पता

MUKTAR AHMED
MANSAROVAR MUSLIM VELFAIR SOCIETY
SEC 3 MANSAROVAR JAIPUR

मद का नाम	प्राप्त राशि रू.
MAP VERIFICATION FEE	19996.00
MALABA CHARGES	5000.00
SEWERAGE CHARGES	37557.00
LABOUR CESS	289331.00
LOGO FEES	1000.00
WATER HARVESTING CHARGES	100000.00
विवरण	CHQ
अक्षरे रू. FOUR LAC FIFTYTWO THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTYFOUR ONLY — योग	452884.00

	चैक नं.	चैक दिनांक	चैक राशि रू.	बैंक एंव ब्रांच का नाम
CHQ	54	23/01/2020	452884.00	BOB

9062

भूल-चूक लेनी देनी

कृ.प.उ.

JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION

संग्रहकर्ता

Scanned with CamScanner

NAGAR NIGAM JAIPUR **URBAN DEVELOPMENT TAX** PG: 1

LEDGER AS ON DATE 28/01/2020

FOR SERNO 5170/3106/1 AND WARD NO. 32

SERVICE NO.	NAME & ADDRESS	
5170/3106/1	PRASIDENT MANSAROVAR MUSLIM WELFARE SOCIETY MANSAROVAR OPP. PANI KI TANKI VARUN PATH JAIPUR OLD WARD:32	6099/1

AREA IN SQ. YARD PLOT	PLINTH	VACANT	TOTAL BUILT UP IN SQ.FT	EXEMPT	MULTI LOCATION	CTG
1195	0	1195	0	NO	No Main Road	General

FLOOR	DESCRIPTION	AREA(SQ.FT.)

TAX CALCULATION	AREA(SQ. YRD.)	RATE	RATE/2000	TOTAL TAX
INSTITUTIONAL	1195.00	10548	5.27	6302

YEAR	DATE	PARTICULARS	DR.AMT(RS.)	CR.AMT(RS.)	BAL (RS.)
12-13		BILL	6178		
13-14		BILL	6178		
14-15		BILL	6178		
15-16		BILL	8036		
16-17		BILL	8036		
17-18		BILL	8036		
18-19		BILL	6302		
19-20		BILL	6302		
		PENALTY	20577		
		100%Reb.Pen.		20577	55246

CLOSING BALANCE 55246.00

NAME & SIGNATURE OF PROPERTY OWNER

अध्यक्ष

जमाकर्ता की प्रति

प्रारूप नं. 4

नगर निगम जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 22, 23 और 24 (1) के अधीन)

बुक नं. 201011 **रसीद** रसीद नं. 16

जोन 07 वार्ड नं. 32 संग्रहकर्त्ता क्र. 0738 दिनांक 29/1/2020

श्री अध्यक्ष मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी पता मानसरोवर वरुण पथ

खाता क्रमांक पानी की टंकी के सामने सेवा क्रमांक 5170/3106/1

कर व शुल्क का नाम वर्ष	कुल देय राशि	वसूल राशि	चैक नं. बैंक का नाम व दिनांक
गृहकर नगरीय विकास कर			
भूमि किराया (लीज)	2012 - 2020 तक		
दुकान किराया			
लाइसेंस शुल्क			
विज्ञापन शुल्क		55246	
सरचार्ज			356000
ब्याज			[illegible]
पेनल्टी			29/1/2020
जन्म/मत्यु प्रमाण पत्र शुल्क			
केरिंग चार्जेज			
अन्य			
प्रगामी योग प्रतिदिन रू. 55246/-	कुल राशि रू.		
	छूट रू.		
	शुद्ध राशि रू.	55246/-	

अक्षरे रू. पचपन हजार दो सौ छियालीस रुपये मात्र नकद/चैक से प्राप्त हुए।

नोट : 1. इस पावती पर राशि लेने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं सीड नहीं होने पर पावती वैध नहीं मानी जायेगी।
2. चैक की राशि बैंक द्वारा प्राप्त होने पर ही पावती वैध मानी जायेगी।

ईश्वर (ARI)

संग्रहकर्ता जोन के हस्ताक्षर एवं सील

स्क्रोल का पेज नं./सीरियल नं. ....

Scanned with CamScanner

नगर निगम, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक :– एफ 13 ( ) उपा. आयोजना / जननि. / 2020 / 800 दिनांक:– 6/2/2020

श्री मुख्तार अहमद अध्यक्ष,
मानसरोवर मुस्लिम बेलफेयर सोसायटी,
सै0–3, मानसरोवर, जयपुर।

विषय :– मानसरोवर मुस्लिम बेलफेयर सोसायटी सै0–3, मानसरोवर जयपुर के मदरसा निर्माण स्वीकृति बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा कार्यालय में आवेदन कर मदरसा निर्माण स्वीकृति चाही गई है। इस बावत् आप फायर सैस राशि 91962/– रूपये निगम कोष में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकें।

सूचित रहें।

(मो0 सलीम खान)
उपायुक्त आयोजना (प्रथम)
नगर निगम, जयपुर

नगर निगम, जयपुर
अदा रु. 91962/- बावत
0 6 FEB 2020
रसीद सं. 1361
कोषाध्यक्ष

नगर निगम जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 22,23 और 24(1) के अधीन)

रसीद

रसीद नं.	रसीद दिनांक	काउन्टर का नाम एवं क्रमांक	वार्ड क्रं.
9002/1361	06/02/2020	HEAD OFFICE COUNTER-2	0

सेवा क्रमांक/कन्ट्रोल नं.	नाम व पता
	MUKTAR AHEMAD MANSAROVAR MUSLIM VELFAIR SOCIETY SEC 3 MANSAROVAR JAIPUR

मद का नाम	प्राप्त राशि रू.
N.O.C. FEE	91962.00

विवरण FIRE CES FEE

CASH

अक्षरे रू. NINTYONE THOUSAND NINE HUNDRED SIXTYTWO ONLY — योग 91962.00

चैक नं.	चैक दिनांक	चैक राशि रू.	बैंक एंव ब्रांच का नाम

9062

भूल-चूक लेनी देनी — कृ.प.उ. — संग्रहकर्ता

Scanned with CamScanner

नगर निगम, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक :— एफ 13 ( ) उपा.आयो. / ननिज. / 2020 / 806 दिनांकः— 7/02/2020

श्री मुख्तार अहमद अध्यक्ष, मानसरोवर मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी
भूखण्ड संख्या— सै—3, मानसरोवर, जयपुर।

विषय :— भू. सं. सैक्टर—3, मानसरोवर, जयपुर पर मदरसा निर्माण स्वीकृति बाबत्।

भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 14 / 17.10.2019 प्रस्ताव संख्या 95 के अनुसार समिति द्वारा मदरसा निर्माण मानचित्र अनुमोदन करने के लिये गये निर्णय की अनुपालना मे एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार कुल ऊँचाई 11.70 मी0 मदरसा निर्माण मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित कर जारी किये जाते हैः—

1. उक्त स्वीकृति नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर, एकीकृत भवन विनियम 2017 के तहत जारी की गई है।
2. भवन विनियम, 2017 के अनुसार उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से सात वर्ष के लिए मान्य होगी।
3. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :—

(1)	(2)
सैट बैक (न्यूनतम)	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	9.14 मी.
साईड प्रथम	4.57 मी.
साईड द्वितीय	4.72 मी.
पीछे	4.57 मी.
ऊँचाई	11.70 मी.
मंजिल	बी+जी+2
बेसमेन्ट	स्वीकृत
आच्छादन	37.62 प्रतिशत
एफ.ए.आर	0.95

4. नगर निगम जयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए जयपुर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
5. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी। अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न निर्माण करने पर अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जावेगा व किया गया या समस्त निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में गिना जावेगा।
6. भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग से भिन्न होने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा। नगर निगम, जयपुर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।

Scanned with CamScanner

8. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास सेवायें हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आवंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
9. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।
10. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
11. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।
12. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
13. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
14. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर जयपुर नगर निगम बिना किसी सूचना के तोडने का हकदार होगा एवं तोडने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर जयपुर नगर निगम हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेगें।
15. भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी मौके पर प्रदर्शित (Display) करवाया जाना आवश्यक होगा।
16. बेसमेन्ट में प्र्याप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिये परिसंकट मय या हानिकारक हो, के उपयोग मे नहीं करेगा।
17. भवन मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह भवन का निर्माण प्रारंभ होने पर बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) मौके पर उपलब्ध करवायेगा। मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति से सम्पर्क हेतु उसका सम्पर्क दूरभाष नम्बर बोर्ड पर साईड पर उलब्ध करवाया जायेगा एवं सम्बन्धित दूरभाष नम्बर सम्बन्धित थाने में भी उपलब्ध करवाया जावेगा, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूपसे किया जा सके।
18. प्रार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की सभी शर्तों की पालना की जावेगी।
19. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
20. भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों हेतु अस्थाई शौचालय/यूरीनल की व्यवस्था आपके स्तर से सुनिश्चित की जावें।

दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।
संलग्नः– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 2 मानचित्र)

उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
नगर निगम, जयपुर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ–

1. उपायुक्त, मानसरोवर जोन नगर निगम, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न :– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल ...... मानचित्र)

उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
नगर निगम, जयपुर

Scanned with CamScanner